

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

राजस्व विविध में पंजीबद्ध किया जावें। प्रकरण आवश्यक प्रमाणों का होने से वकील प्रार्थीगण श्री रघुवीरसिंह चौहान के अनुरोध पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व सुनने पर वकील प्रार्थीगण प्रकरण में वर्णित भूमि ग्राम वरावल के खसरा नंबर 177/256 रकबा 0.398 हैक्टर किस्म गै.मु.सडा को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो, इस हेतु आगामी पेशी तक बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की मौका स्थिति में रददोबदल नहीं करें, बेचान नहीं करें, इस हेतु रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें। उक्त आदेश से अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 16.10.2023 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर एवं मदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली  
उपखण्ड अधिकारी  
बाली (जिला-पाली) राज.

09/10  
23

पत्रावली मूल वाद के साथ सुनवाई पर  
ली गई। मूल वाद (अप्रार्थी सं. 3) वादी  
के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पर खारिज किया जा  
चुका है जिससे मूल वाद के अभाव में  
उक्त न.र. प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं  
होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली  
केसल शुमार एक्टर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
बाली (जिला-पाली) राज.